

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 13.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा बृजेश बाबू पुत्र स्व० रुप राम शर्मा निवासी ग्राम जटियापुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात उम्र 25 वर्ष द्वारा रास्ते में आने जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत कर अश्लील गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० मु०अ०सं० 0169/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1 . योगेश राजपूत पुत्र रतिराम निवासी मदनपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात 2. रूद्र प्रताप सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी भोलानगर झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात 3. अनूप कुमार पुत्र जगदीश कुमार निवासी मदनपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य/ फुहड गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 361/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभय पुत्र रमेशचन्द्र उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम वैरी सवाई थाना शिवली कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य/ फुहड गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 359/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रवि कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी हलधरपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 34 वर्ष के कब्जे से 21 पौवे ट्रेटा देशी शराब टिवन टावर ब्रान्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 351/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त मुमताज पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम करियापुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात उम्र 38 वर्ष के कब्जे से 20 अदद क्वाटर देशी शराब ट्विन टावर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 41/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अ०सं० 60/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बीएनएस से संबंधित अभियुक्त हाकिम सिंह पुत्र स्व देवी सिंह नि० वार्ड नं०12 विकास नगर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 353/25 धारा 302(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त विजय बाबू पुत्र हीरालाल निवासी कस्बा व थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 10/2008 धारा 354/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त गोरे उर्फ गोरेलाल यादव पुत्र लाल सिंह निवासी जोधेपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।